भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड
"खनिज भवन" भोपालपानी, देहरादून।
(dir.ukdgm@gmail.com)

संख्या : 2069 /मु.ख.-VIII (i)/241/स्टा.रे./भू.खनि.निदे./2025-26,

दिनांक: 07 जुलाई, 2025

प्रेस विज्ञप्ति

खदान क्षेत्रों में स्टार रेटिंग प्रणाली लागू करने के सम्बन्ध में:-

खनन व्यवसायियों को सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1 के पत्र संख्या 1582/VII-A-1/2025/8 (18)/2020 दिनांक 01 जुलाई 2025 के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य अन्तर्गत लघु/गौण खनिज खदानों (आर.बी.एम. को छोड़कर) की स्टार रेटिंग प्रणाली लागू की गयी है। सतत विकास ढांचे (Sustainable Development Framework) के कार्यान्वयन के लिए किये गए प्रयासों और पहलों के लिए लघु खनिजों की खदानों को यह रेटिंग दी जाएगी। खदानों को एक से पांच (1 से 5) स्टार दिए जाएंगे, जिसमें निर्धारित मापदंडों के आधार पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली खदानों को पांच स्टार दिए जाएंगे। स्टार रेटिंग योजना पर्यावरण और वन सुरक्षा उपायों के लिए एक अंतर्निहित अनुपालन तंत्र रखने के लिए तैयार की गई है और यह सभी खनन पट्टा धारकों को उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए क्षेत्र में अच्छे प्रदर्शन करने वालों को पहचानने में मदद करेगी। पट्टाधारक/मैनेजर/ऐजेन्ट द्वारा भरा गया विधिवत हस्ताक्षरित स्व-मूल्यांकन प्रपत्र प्रत्येक वित्तीय वर्ष (01 अप्रैल-31 मार्च) की समाप्ति के उपरान्त प्रत्येक दशा में आगामी 31 मई तक (परन्तु मात्र वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु दिनांक 31 जुलाई, 2025 तक) भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड में उपलब्ध कराया जायेगा। स्व-मूल्यांकन प्रपत्र तथा स्व-मूल्यांकन प्रपत्र को भरे जाने हेतु दिशा-निर्देश सम्बन्धित जनपद के जिला खान अधिकारी कार्यालय, निदेशालय तथा विभागीय वेबसाईट dgm.uk.gov.in से प्राप्त किये जा सकते है।

राजपाल लेघा, निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

Scanned with OKEN Scanner